केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/173 दिनांक: 15.05.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00167
CICOM/A/2017/00131

अपीलकर्ता : डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह,
C/o श्री रोहित राज, अमर कुटीर,
चेन टोला, मुसल्लहपुर, पो0 – महेन्द्रू,
पटना – 800006.

निर्णय की तारीख : 15.05.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.02.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.05.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	131295/11.05.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	211/12.05.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेशों के अनुपालन न होने से संबंधित शिकायत पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री वी. क. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरूद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में प्रदान की गई सूचना के साथ साथ द्वितीय अपील आदेशों का अनुपालन नहीं होने की भी शिकायत की है, इस संदर्भ में अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि द्वितीय अपील आदेशों का अनुपालन प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यक्षेत्र से परे है । अपीलकर्ता के दिनांक 01.02.2017 का आर.टी.आई. आवेदन तथा इससे संबंधित श्री वी. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना के अवलोकन के उपरान्त श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी व उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (एस.बी.) कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को अद्यतन सूचना उपलब्ध करवाई जाए, यदि संबंधित फाइल सूचना आयुक्त (वाई.ए.) की रजिस्ट्री से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (वाई.ए.) कार्यालय की सहायता ली जा सकती है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि : (8) 15/5/17

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. एस. रोहिल्ला, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (एस.बी.) कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।
3. श्री आर.पी.ग्रोवर, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (वाई.ए.) कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

Recd 15/5/17

15/5/17

C.I.C. / के० सू० आ०
RECEIVED
15 MAY 2017
Initials: